कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

दिनांकः- 01/10/22

क्रमांकः- 3341

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 27 (क) (5) गृह-2/2022 दिनांक 19 जुलाई 2022 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में पुलिस चौकी अकबरपुर और पुलिस चौकी बगड तिराया को क्रमोन्नत कर नव सृजित पुलिस थाना अकबरपुर और पुलिस थाना बगड तिराया के क्षेत्राधिकार हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अलवर से पत्र स-4 ( )अल-फोर्स/2021/3728-32 दिनांक 29.09.2022 व क्रमांक स-4 ( )अल-फोर्स/2021/3719-26 दिनांक 29.09.2022 प्राप्त हुऐ है। जिनमें नवसृजित पुलिस थाना बगड तिराया और अकबरपुर का संचालन दिनांक 01.10. 2022 से किये जाने का उल्लेखन है।

राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के मुताबिक नवसृजित थाना अकबरपुर के क्षेत्राधिकार में 53 गॉव और थाना बगड तिराया के क्षेत्राधिकार में 38 गॉव आते है जिनकी सूची संलग्न है।

संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 27 (क) (5) गृह-2/2022 दिनांक 19 जुलाई 2022 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में पुलिस चौकी अकबरपुर और पुलिस चौकी बगड तिराया को क्रमोन्नत कर नव सृजित पुलिस थाना अकबरपुर और पुलिस थाना बगड तिराया के क्षेत्राधिकार माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्रांक स्था0/2022/31041 दिनांक .01 अक्टूबर 2022 की अनुपालना में मै डॉ0 वीनू नागपाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश को आंशिक संशोधन करते हुए नवसृजित पुलिस थाना अकबरपुर व बगड तिराया में उद्भूत होने वाले भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित फौजदारी प्रकरण, वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, एन0आई0एक्ट से संबंधित प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अधिकारित को छोडकर) के संबंध में नियमानुसार न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आवंटित करती हूँ

अकबरपुर थाना में आने वाले गॉवों की सूची का क्षेत्राधिकार

क्रम संख्या	गांवों की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार)	न्यायालय का नाम
1.	गाव संख्या 1 से 38 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा
2.	गॉव संख्या 39 से 51 तक	ए0एम0जे0एम0 नंबर 1, अलवर
3.	गॉव संख्या 52 व 53	ए0सी0जे0एम0 नंबर 3, अलवर

बगड तिराया थाना में आने वाले गॉवों की सूची का क्षेत्राधिकार

क्रम संख्या	गांवों की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार)	न्यायालय का नाम
1.	गांव संख्या 1 से 7 तक, 11, 13 से 15 तक, 18 से 24 तक, 30 से 34 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर
2.	गांव संख्या 8 से 10 तक, 12, 35 से 37 तक	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ जिला अलवर
3.	गांव संख्या केवल 27	ए0एम0जे0एम0 नंबर 1, अलवर
4.	गांव संख्या 16, 17, 25, 26, 28, 29 और 38	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ जिला अलवर

नोट :– अलवर मुख्यालय पर पूर्व में वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम व एन0आई0एक्ट से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकारी पूर्ववत ही जारी रहेगा।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीया

Sd/-

(डॉ. वीनू नागपाल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर

क्रमांक :–3342-54 दिनांक :-01/10/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. संबंधित न्यायालय........................
4. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
5. संबंधित पुलिस थाना.......................
6. संबंधित बार एसोसियेशन ....
7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

1.10.22

(डॉ. वीनू नागपाल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर